न्यायालय– सिविल न्यायाधीश (वरीय प्रभाग), षष्ठम्, पटना सिटी

स्वत्व विभाजन वाद सं0–10 / 2023

आदेश

21-03-2024

वादी की ओर से हाजिरी दी गई है, साथ–ही लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के साथ नोटिस का ट्रैक रिपोर्ट एवं पोस्टल रसीद दाखिल किया गया। वादी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक–18.04.2023 के दाखिल आवेदन अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 एवं आदेश 6 नियम 17 एवं धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता में आवेदन दाखिल किया गया तथा आवेदन को संचालित करते हुए वे अभिकथन करते हैं कि प्रस्तुत वाद वादपत्र के अनुसूची–3 (भाग ए, बी एवं सी) की सम्पत्ति के विभाजन के लिए लाया गया है। वादपत्र के पारा–13 में त्रुटिवश प्रतिवादी सं0–4 एवं 5 टंकित हो गया है, जिसका पता वादी को प्रतिवादीगण के विरुद्ध सम्मन करने के समय चला। वादपत्र में प्रतिवादी सं0–3 एवं 4 के स्थान पर टंककीय भूल के कारण प्रतिवादी सं0–4 एवं 5 टंकित हो गया है, जिसे संशोधन की प्रक्रिया के माध्यम से ठीक करने की आवश्यकता है। वांछित संशोधन वाद के प्रकृति में को परिवर्तित नहीं करता है। अतः वादपत्र के पारा–13 के प्रथम लाइन में शब्द प्रतिवादी सं0– 4 एवं 5 को विलोपित करने तथा उसके स्थान पर शब्द प्रतिवादी सं0–3 एवं 4 को अन्तर्निविष्ट करने की कृपा की जाय।

वादी को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन एवं परिशीलन से ज्ञात होता है कि वादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक–18.04.2023 के दाखिल आवेदन अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 एवं आदेश 6 नियम 17 एवं धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता में आवेदनानुसार संशोधन करने से मूल वाद के प्रकृति में किसी खास प्रकार का परिवर्तन होना परिलक्षित नहीं होता है, अतएव अपेक्षित संशोधन साधारण प्रकृति का है, साथ–ही वाद अभी अपने प्रारम्भिक चरण में है और प्रतिवादीगण अभी तक उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः वादी के आवेदन को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। साथ–ही वादी को निर्देश दिया जाता है कि नियमानुसार, आवेदन में अंतर्निहित पदों को वादपत्र में संशोधन कर जोड़ें। वाद दिनांक– वास्ते अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु।

लेखापित

सिविल न्यायाधीश (वरीय प्रभाग), षष्ठम्
पटना सिटी